



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भसंख्या:
प्लेक्स/सीआईआर/1065

18/02/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सर्ी सदस्य/
सीओए सदस

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: कच्चे मानव केश के निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 59/2024-25 दिनांक 10 फरवरी, 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कच्चे मानव केश की निर्यात नीति को 'प्रतिबंधित' श्रेणी से बदलकर 'निषिद्ध' श्रेणी में कर दिया है। हालांकि, यदि एफओबी मूल्य प्रति किलोग्राम 65 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है, तो निर्यात 'मुक्त' रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न अधिसूचना देखें।

धन्यवाद एवं सादर,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद